



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1506) पटना, सोमवार, 15 सितम्बर 2025

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)

अधिसूचना

12 सितम्बर 2025

सं० म०/स्था०अ०रा०(अ०)-01/2015 (खण्ड-II) 3642/मत्स्य—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती नियमावली, 2007" (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

- (1) यह नियमावली "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा-भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007" के नियम-6 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली के नियम- 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में विहित पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) के अधिसूचना संख्या 1432 दिनांक 01.10.2012 से अधिसूचित है। प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होगा। इन 100 अंको का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

(i)	प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता	-	75 अंक
(ii)	बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित गैर-निजी संस्थान (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये संतोषजनक कार्य अवधि के लिए अधिमानता (प्रत्येक वर्ष 5 अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक एवं वर्ष के अंश के लिए अनुपातिक अंक अनुमान्य होगा)।	-	25 अंक
	कुल अंक	-	100 अंक

टिप्पणी:— (i)(क) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंको के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा— यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $60 \times 0.75 = 45$ अंक दिये जायेंगे।

टिप्पणी:— (i)(ख) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत होगा।

3. "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007" में नियम— 10 का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के नियम— 10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा —

10. (क) विभागीय परीक्षा—

- (i) सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथा—निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।
- (ii) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा।
- (iii) नव नियुक्त सरकारी सेवकों को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि राजभाषा निदेशालय द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् एवं अगली वार्षिक वेतनवृद्धि यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात् अनुमान्य होगी।

(ख) सम्पुष्टि:—परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सेवा सम्पुष्ट की जाएगी।

4. "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007" में नियम—6 के परिशिष्ट—I के क्रम संख्या—5 के कॉलम (2) में अधिसूचित पदों पर भर्ती प्रक्रिया को इस हद तक संशोधित किया जाएगा :—

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी/कनीय व्याख्याता संवर्ग में नियुक्ति—

- (i) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा प्रयोजनार्थ समय—समय पर, आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाएगा।
- (ii) शेष 25 प्रतिशत पदों को मत्स्य विकास पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० विजयलक्ष्मी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 12th September 2025

No. Mo./Astha.A.Ra.(A.)-01/2015(II)-3642/Fish—In exercise of the powers conferred under provision to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rule to amend "The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules 2007 (as amended from time to time)" —

1. Short Title, Extent, and Commencement —

- (1) These rules shall be called the "**The Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment (Amendment) Rules, 2025.**"
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It Shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Substitution of Rule-6 of the "Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007— Rule 6 of the aforesaid rules shall be substituted as follows:

Under the 'Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Cadre Rules, 2007 (as amended from time to time),' for the selection of candidates for specified posts through

direct recruitment, marks shall be awarded for competitive examination and work experience. The syllabus for the competitive examination has been prescribed by Animal and Fisheries Resources Department (Fisheries) Notification No. 1432 dated 01.10.2012. The total marks for the competitive examination and work experience shall be 100. The distribution of these 100 marks shall be as follows:

(i)	Consideration for the marks obtained in the competitive examination	– 75 marks
(ii)	Weightage of a maximum of 25 marks will be given for the period of satisfactory work done only in same post on contract basis in the Government of Bihar or in a non-private institution located within the state of Bihar (Central Government, Panchayat, Municipal body etc.)	– 25 marks
	Total Marks	– 100 marks

Note: (i) (a) The marks to be awarded to a candidate for the marks obtained in a competitive examination will be determined by multiplying the percentage of the total marks obtained in the said competitive examination by a multiple of factor of 0.75. For example, if a candidate has obtained 60 percent marks in the competitive examination, then he will be given $60 \times 0.75 = 45$ marks .

Note: (i) (b) The minimum qualifying marks for the competitive examination will be **30 Percent.**

3. Substitution of Rule-10 in the Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007 Rule 10 of the said Rules shall be substituted by the following :-

10. (a) Departmental Examination:-

- (i) Government servants appointed on direct gratuity shall have to pass the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue.
- (ii) The subject, syllabus and procedure of the Departmental Examination shall be determined by the Board of Revenue in consultation with the Governing Department.
- (iii) The first annual increment to the newly appointed Government servants shall be admissible after passing the Hindi Note and Drafting Examination conducted by the Directorate of Official Language and the next annual increment after passing the Departmental Examination as prescribed.

(b) Confirmation: -Service will be confirmed after satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing of departmental examination.

4. In the Bihar Animal and Fisheries Resources (Fisheries) Service Recruitment Rules, 2007, the process of recruitment to the posts notified in column (2) of serial no. 5 of Appendix-I of Rule-6 shall be amended to the extent that: -

Appointment in the category of Fisheries Extension Officer / Junior Fisheries Research Officer / Junior Lecturer -

- (i) 75% of the posts of Fisheries Extension Officer Cadre shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the competitive examination and work experience conducted by the Bihar Technical Service Selection Commission from time to time for the purpose.

- (ii) The remaining 25% of the posts will be filled by the promotion of the Fisheries Development Officer Cadre. Such promotion shall be made on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted for the said purpose.

*By the order of the Governor of Bihar,
Dr. N. Vijayalakshmi,
Additional Chief Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1506-571+100-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>